CONGRATULATIONS TO INDIAN CRICKET TEAM FOR WINNING CRICKET TEST MATCH IN SOUTH AFRICA

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र) : सर, इंडियन क्रिकेट टीम के जीतने पर बधाई तो दिलवा दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Indian Cricket Team has won the 1st test match in South Africa. We congratulate the team.

प्रो. रामदेव भंडारी : उपसभापति जी, बहुत समय बाद अच्छा समाचार सुना है, धन्यवाद ।

THE CENTRAL EDUCATION INSTITUTIONS (RESERVATION IN ADMISSION) BILL, 2006—Contd.

श्री उपसभापति : अजीज पाशा साहब, बोलिए ।

श्री दत्ता मेंघे (महाराष्ट्र) **:** सर, मुझे भी इस बिल पर बोलना है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How can we do ft? There is another Bill after this. *(Interruptions).* Unless the Members cooperate, how can we do it?

श्री दत्ता मेघे : मेरी पार्टी से कोई नहीं है, मेरा संबंध है, इसलिए मैं आया हूं ।

श्री उपसभापति : सबका संबंध है , पूरे हाउस का संबंध है...(**व्यवधान**)...

श्री दत्ता मेघे : मुझे 2 मिनट दे दीजिए ।

श्री मंगनी लाल मंडल : उपसभापति जी, लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ज्यादा समय दिया गया। कल भी हाउस है, यह बिल महत्वपूर्ण हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : देखिए कल last दिन है ...(**व्यवधान**)...

श्री दत्ता मेघे : सर, रिजर्वेशन बहुत important Bill है । मुझे केवल 2 मिनट बात करनी है, मैं ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा । ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप बैठिए...(**व्यवधान**) इतनी देर में तो वह complete कर देते । पाशा जी, बोलिए ।

SHRI SYED AZEEZ PASHA (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, on behalf of the Communist Party of India, I rise to support the Bill. At the outset, I would like to say that this proposed Bill i neither against the

93rd Constitution Amendment, nor against Article 15(4) or 15(3). It is completely in consonance with it. The Directive Principle of the Constitution is quite clear. It has given guidelines to the State Governments to uplift all the economically downtrodden sections. Anyway, I am not talking about the economically downtrodden sections. I am only restricting myself to higher education. Why can't the State Governments also take steps to bring under their ambit all the Government aided educational institutions in order to provide reservation? Now this Bill restricts the Government to aided institutions only. What we are pleading is that the canvass should be extended to non-aided institutions also so that a broaded section can also benefit out of this. '

Sir, we feel sorry to say that so many persons who are pleading against this Bill by saying that this economic criterion should be there only to judge the selection of candidates. But I think they are forgetting that it is only meant for admission, not for syllabus or examination. After all, they have to face the same syllabus and the same examination. Those who are not up to the mark, they cannot prosecute it further. This way, there would not be any discrimination. Now we are seeing that in States like Tamil Nadu, where there is already 69 per cent reservation and it-is also included in the Ninth Schedule of the Constitution, merit is not a casualty there. After all, they are also producing very brilliant students. We should not have narrow approach so to say that this reservation is not going to produce meritorious students. So, it will definitely help very vast section, the lower strata, to enjoy the fruits of Independence which till today they have been deprived. As Communists, we don't believe in casteism, but keeping in view the present objective situation, we feel that for social justice, in a limited way, this is the only solution to see that the fruits are enjoyed by the vast majority. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri R. Shunmugasundaram. You have three minutes.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Sir, I represent three Members in the House. So, you should give me eight minutes... *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He always adheres to the timings, appreciate it.

SHRI R.SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I welcome and support the Bill. A beginning has been made in giving reservation of 27 per cent to the Backward Classes in prestigious institutions which offer highly valued postgraduate degrees. Only a few people were enjoying the facilities because they had better opportunities. Sir, not even one or two per cent of the school children are opportune to get the best of education offered by the urban schools. This Bill attempts to bridge the gap. Social injustice was caused to a large number of people for over 4600 years, at the time when Aryan invasion was made in this country in 2600 BC. Manu's Code, which was practised by the Aryan invaders said, "Those persons who educate themselves or chant mantras, their tongues should be cut." That was the punishment then. Even if we give all facilities to children today for their education, they will not be in a position to compete with others who have been enjoying the benefits for the last over 4,000 years.

In the Census of Madras Presidency in the year 1871, Volume 1 Page 197, Mr. W.R Cornish, Census Superintendent, noticed that the Brahmin caste monopolised the Services. He said, "Politically it is not to 'the advantage of the Government that every question connected with the progress of the country should be viewed through the medium of Brahmin spectacles." In 1881, the Census Report says that the Brahmins, who. were just 3.6 per cent, occupied nearly 42 per cent of the higher salaried jobs, and other Hindus, who were 88 per cent, occupied only 36 per cent of the jobs. As per the 1911 Census, the total population in the Madras Presidency was 4,13,70,160. The population of the Hindus was 3,72,30,034, out of which the non-Brahmins were 3,59,19,674 in number and the Brahmins were 33,10,360. This three percent of the Brahmins held 97 per cent of the fertile lands in the Thanjavur district. Therefore, they had economic superiority, and they had all the opportunities. Sir, the Royal Commission was established in order to find out whether all classes and communities were duly represented in the Provincial (State) Services, and it was asked to recommend how to secure this object. The Brahmins, who met the Commission, were for selection on merit and efficiency basis. They opposed selection based on caste and told them that the prestige of the Services could be lowered. And, in the year 1919, the finding was given. As per the Census at that time, the Brahmins occupied 74 per cent in the Public Works Department; 50 per cent were in Revenue Department; 66 per cent in Judicial Department; and 79 per cent in Education

Department. Sir, another survey brought out in 1913, by hon. Sir Alexander Cardew reported that in the Competitive Examination for the Provinical Civil Services, the success rate of the Brahmins was 94 per cent; out of 128 permanent District Munsifs, 93 were Brahmins;, out of five High Court Judges, four were Hindus and all the four were Brahmins. This was the statistics. Therefore, this gave rise to the birth of the Justice Party which fought for social justice.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: I just have two points more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have taken up all the time in giving statistics. But you have not come to the point.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, statistics are very important, *(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, the survey conducted by the Centre for Study of Developing Societies, along with Anil Chamaria, a freelance writer, and a journalist, Shri Jitendra Kumar, found that in the 7 per cent and, they wrote only editorials and gave views; not one Dalit was there in the decision-making position. When this is the background, how can we expect any support for resrvation in media? A Dalit, even if he is a Ph. D. in Theology and Sanskrit, cannot become a Shankaracharya. Then, Sir, casteism will remain a perpetual menace; quota system will not perpetuate caste-consciousness. It is only this attitude of the upper caste men that will perpetuate the caste system. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Congress Party has eleven minutes and three speakers. Please divide the time amongst yourselves. Dr. Prabha Thakur. *(Interruptions).*

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, मैं इस ऐतिहासिक व बहु-प्रतीक्षित केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 का स्वागत और समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को लाने व इस संकल्प को कर दिखाने के लिए धन्यवाद देती हूं।

महोदय, लोग बातें तो बहुत लंबी-लंबी करते हैं, लेकिन इस सरकार ने यह कर दिखाया क्योंकि इस सरकार की कथनी और करनी में कोई अतंर नही है । महोदय, चाहे ओ.बी.सी. का मामला रहा

हो, एस0सी0/एस0टी0 के हितो से जुडे मामले रहे हों, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों से जुडे मामले रहे हों- इन सभी प्रसंगों में इस यू.पी.ए. सरकार ने अपनी संकल्पबद्धता दिखाई है । महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को, यू.पी.ए. की चैयरपर्सन को उन की संकल्पशीलता के लिए, माननीय मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को, इस विधेयक को लाने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूं । आज पूरे देश के ओ.बी.सी. वर्ग के लोगो की भावना को उस के बिना किसी शोर के कर दिखाया है। इस सरकार ने सच्चर समिति का गठन किया ताकि अल्पसंख्यकों की सही हकीकत व हालत दुनिया व इस देश के सामने आए, उन्हें किस तरह आगे लाया जाए । यही कर दिखाने के लिए सरकार ने इस समिति का गठन किया और आज इसी भावना से यह विधेयक लाया गया है ।

महोदय, इस सदन में सभी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं दो-तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी । महोदय, ऐसी बात नहीं हैं कि प्रतिभा का ठेका सिर्फ किसी एक समुदाय का है, लेकिन सब से बड़ी बात यह रही कि पिछडे समुदाय के बच्चों को आर्थिक दृष्टि या सामाजिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण समान अवसर नहीं मिल पाया कि वे महंगे स्कूलों में पढकर अपनी जगह इन उच्च शिक्षण संस्थानों मे स्थान बना पाते । सिर्फ यही एक कारण रहा और इसे दूर करने के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्थान बना पाते । सिर्फ यही एक कारण रहा और इसे दूर करने लिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों में यह 27 प्रतिशत आरक्षण देने का जो संकल्प इस सरकार ने दर्शाया है और इस के लिए आई.आई.एम. व आई.आई.टी. जैसे संस्थानों में इन्हें आरक्षण देने का प्रावधान किया है, मैं इस के लिए सराकर को हार्दिक बधाई देती हूं ।

महोदय, जब भी इस तरह से आरक्षण का सवाल आता है, कुछ लोग विरोध और प्रदर्शन प्रायोजित कराते हैं कि यह मेरिट के आधार पर नहीं हो रहा है। अगर यह मुस्लिम समाज के लिए हो रहा है तो कहते हैं कि तुष्टीकरण के लिए हो रहा है, अगर ओ.बी.सी. के लिए हो रहा है तो मेरिट का सवाल आता है । महोदय, मैं उन लोगो से एक सवाल पूछती हूं कि दक्षिण भारत या अनेक राज्यों मे आज ऐसे शिक्षण संस्थान है, जहां कि ब्लैंक चैक देकर माननीय तरीके से पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्रियां हासिल कर ली जाती है, उस समय बवाल क्यों नहीं उठाया जाता ?

उस समय क्यों नहीं सवाल उठाया जाता है, उस समय क्यों नही विरोध किया जाता है? तब मैरिट कहां जाती है, तब प्रतिभा का सवाल कहां जाता है? जब विभिन्न क्षेत्रों में हर तरह की प्रोफेशनल की डिंग्री जहां दी जाती है ब्लैक चैक या धन के आधार पर उस समय उस पैकेज के आधार पर जो डिंग्री दी जाती है, महोदय, तब प्रतिभा का सवाल कहां जाता है , तब क्यों नहीं यह सवाल उठाया जाता है?

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि हमारा जो युवा वर्ग है, चाहे वह किसी भी समाज और किसी भी जाति से जुडा हो, वह बड़ा जागरूक है । लेकिन उन्हे भी पूरी पिक्चर नहीं बताई जाती । उनको कई

लोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों से – उनके पीछे उनका हाथ रहता है, वे उनको भडकाते हैं । जबकि इस विधेयक में यह प्रोविजन है कि उनके लिए सीटें अलग से बढ़ाने के बाद आरक्षण देने का जो विधान रखा है तो उन्हें वह बताया जाना चाहिए । युवा वर्ग में से अधिकाश को इसकी जानकारी ही नहीं है । उन्हें लग रहा है कि उनका हक मारा जा रहा है, जब कि यह विधेयक जो लाया गया है, इसमें इस तरह की कोई बात कतई नहीं है। उनके लिए अतिरिक्त सीटें बढाने के बाद सरकार की ओर से आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है , तब उन कमजोर लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है । यह बात उनकी जानकारी में, युवा वर्ग की जानकारी में नहीं लाई जा रही है । उनकी जानकारी अधूरी है । महोदय, मुझे कई बार यह भी अफसोस होता है कि अच्छे-अच्छे पत्र-पत्रिकाओं, जिम्मेदार पत्र-पत्रिकाओं मे भी तरह की अधूरी जानकारिया दी जा रही हैं, जिससे कि युवाओं मे उत्तेजना और भडकती हैं । ...(**समय की घंटी**)...

महोदय, मैं अंत में यही कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जहां तक क्रीमी लेयर की बात आई, तो वहां पर भी आखिर किन लोगों ने बैठकर फैसला किया है, किन लोगों ने बैठ कर निर्णय लिया है, क्या उन निर्णय में कोई OBC, SC, ST या अल्पसंख्यक समुदाय के किन्हीं लोगों की भागीदारी थी? महोदय, SC-ST में भी अभी तक बहुत-सारा बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है । अगर इस तरह का प्रोविजन रखा जाता , तो यह तो OBC के लोगों को उससे वंचित करने वाली बात थी । मैं सरकार को बधाई दूंगी कि उसने उनको पूरा समान अवसर देने के लिए OBC समुदाय को आगे बढ़ने के लिए और उनके हितों की रक्षा करने के लिए वह विधेयक लाया है । मैं यही कहना चाहूंगी कि इससे यह प्रमाणित हुआ है कि न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता । मैं यही अंत में कहना चाहूंगी कि इन समाजों मे भी महान लोग पैदा हुए हैं । SC-ST में ही बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, बाल्मीकि जैसे लोग पैदा हुए है। गौतम बुद्ध जैसे लोग सामाजिक समरसता की बात कहते-कहते चले गए, महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए हैं । गौतम बुद्ध जैसे लोग सामाजिक समरमता की बात कहते-कहते चले गए, महात्मा गांधी जैसे लोग इस देश में सामाजिक समरसमा की बात करते हुए चले गए, लेकिन यह सामाजिक समरसता आजादी के 56 वर्षो के बाद भी नहीं हुई । तब इस तरह के विधेयक की जरूरत है, महोदय ताकि जो पिछड़े हुए लोग है, दबे-कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के शोषित लोग हैं, उन्हें भी बराबरी में आने का, समाज में आगे आने का आगे बढ़ने का अवसर मिले । मैं इसका समर्थन करते हुए, अंत में मैं यही कहूंगी और आशा करूंगी कि यह सिलसिला इसी तरह और आगे चलता रहेगा, यह तो केवल शुरूआत है। दक्षिण भारत में 52 प्रतिशत OBC हैं । इस विषय में बडे अच्छे तरीके से सराहनीय कदम उठाए गए हैं और यह एक शुरूआत है । इससे हम उम्मीद करते हैं कि यह जो देश का आर्थिक स्तर 9 प्रतिशत है, इसमें आम आदमी की भागीदारी कितनी है? आम आदमी, जोकि 52 परसेंट से अधिक OBC और उससे भी अधिक जो 26 प्रतिशत SC-ST हैं? ...(**समय की घंटी**)... उनकी इस आर्थिक विकास में भागीदारी पूरे तौर पर सुनिश्चित हो, वह यह सरकार देख रही है। इसी तरह का वह

सराहनीय कार्य कर रही है कदम उठा रही है। कुछ अभिजात्य वर्ग के लोगों से और कुछ राजनीति से प्रेरित लोगों को इससे जरूर कठिनाई एवं परेशानी हो सकती है, इसलिए वे यह विरोध वगैरह भी प्रायोजित करवा रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि इस देश का युवा वर्ग भी समझेगा कि दबे-कुचले और पिछडे लोग भी आगे बढें तथा उनके साथ कदम-से-कदम मिलाकर देश की तरक्की में हिस्सेदार बनें। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए यही कहूंगी कि यह सिलसिला जो शुरू हुआ है , आगे भी जारी रहे तथा 27 प्रतिशत से बढ़ते –बढते 52 प्रतिशत तक पहुंचे। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल) **:** धन्यवाद, महोदय। मैं यह बिल का समर्थन करते हुए कई बातें कहूंगा। डा. बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सम्मान दिखाते हुए और संविधान के प्रति सम्मान दिखाते हुए मैं पहले यही कहूंगा कि पिछले 60 सालों से हम रिजर्वेशन दे चुके हैं, उन समाजों के लिए, जो पिछडे हैं शैडयूल्ड कास्ट है और शैडयूल्ड ट्राइब है। सरकार की ओर से उनके पूरे समाज को ऊपर लाने के लिए प्रयास किया गया ? भले ही आज हम उच्चतम स्तर पर, हायर सैकेंडरी लैबल पर या हायर क्लास में जिनको प्रोमोट कर रहे हैं, वे बच्चे नीचे से सही न आ पांए, तो ऊपर आकर एक जगह पर वे सीमित हो जाएंगे, इसलिए हमे नीचे की ओर ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात , संविधान में पहली बार यह कहा गया था कि 10 साल के लिए हम यह व्यवस्था करेंगे, संशोधन के नाम पर हम इस अवधि को बार-बार बढाते गए, लेकिन आज तक हम उनको ऊपर नहीं ला पाए, यह बडे अफसोस की बात है। अगर सरकार की सो च ऐसी होगी, कोई भी सरकार हो, अगर इस ढंग से हम कानून पास करें, बिल लाएं, पारित करें लेकिन उस पर ढंग से अमल न करें, तो हमें इसको करने मे कई साल और लग जाएंगे और इस बात पर चुनावी राजनीति होती रहेगी या राजनीतिक मुद्दे खडे करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यही बहुत दिन से चलता आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछडे वर्ग शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स को ऊपर लाने के लिए पिछले 20 साल में कितने सरकारी स्कूल बने और कितने प्राइवेट स्कूल बने? प्राइवेट स्कूल वाले आपकी शिक्षा को बढाने की लिए नहीं है, बल्कि वे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वे वाणिज्यिकरण के लिए हैं वे आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कैपिटेशन फी है, भर्ती करने के लिए पैसा है। अगर आपको इस प्रयास पर ठीक ढंग से अमल करना है तो बिल पास करने के बाद सरकार की ओर से कितने स्कूल बने, सरकारी सहायता प्राप्त कितने स्कूल बने, इसके आकंडे हमें चाहिए, तब यह सामने आएगा कि सरकार के मन में पिछडे वर्ग और उस समाज को आगे बढाने की इच्छा है कि नहीं। संविधान मे है, आप ही ने दो दिन पहले भी पास किया, पहले 0 से 14 था, फिर 6 से 14 हुआ, लेकिन 6 से 14 के बाद हमने कह दिया कि अभिभावक लांएगे, जबकि देश को आगे बढाने की जिम्मेदारी सरकार की है। विकास के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा के लिए सरकार की जिम्मेदारी है अगर सरकार चाहती है कि हमे देश के सभी व्यक्तियों

को शिक्षित करना है, भले ही वह पिछडे वर्ग से ही क्यों न हो तो जिम्मेदारी सरकार की है। किसी भी देश में "पिछड़ा" नाम नहीं होना चाहिए, भारत के सारे नागरिक सम्मान के साथ, अधिकार के साथ एक जाति एक प्राण होने चाहिए और अभी तक यह नहीं कर सके हैं, जो हमारे लिए बडे दुर्भाग्य की बात है। अगर सही मायने मे हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में ये लोग आगे बढें, तो उसके लिए हमें जो भी करना पडे, भले ही उसमें पैसा लगे, वह करना चाहिए। वह पैसा कहां से आएगा, कैसे हम स्कूल बनाएंगे, कैसे प्राइमरी लैवल से ऊपर तक, भले ही हम मिड-डे मील आदि कुछ दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी हम बच्चों को लाकर पढा नहीं पा रहे हैं। हमारे वहां स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं है, स्कूल मे पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार से पहली दरखवास्त यह करता हूं कि सरकार अगर चाहती हूं ,पूरे एम.पी. अगर चाहते हैं तो देश के लिए पहले स्कूल बनाएं जाएं और निचले स्तर से ऊपर के स्तर तक कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूरे समाज को, पूरे पिछडे समाज को, शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स को आगे बढाने के लिए सबकी तरफ से प्रयास होना चाहिए। मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि MPLAD का पैसा अगर स्पेंड करना है तो स्कूल पर करिए, यह करिए कि हम स्कूल को आगे बढ़ाकर यहां लाएंगे। यहां पर हम जब भी बिल आता है, बहुत सोचते हैं। जो गरीब है, जो चाहते हैं कि हम अपने दिमाग से आगे बढे, दिमाग किसी में कम नहीं है, केवल प्रतिभा का विकास होना चाहिए, प्रतिभा के विकास के लिए जिन चीजों की आवयश्कता है उनको सामने लाइए और उस आवश्यकता को पूर्ण करिए। आप जो भी बिल लाएं, जिसको पारित करें, उस पर दिल से अमल करने का प्रयास कीजिए। अगर हम यह प्रयास करते हैं तो मैं मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह को बधाई दूंगा कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए कि देश मे कोई भी निरक्षर नहीं होगा, सम्मान के साथ जिएगा और आगे के अधिकार वह खुद अर्जन करेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी तरफ से आरक्षण की कोई बात नहीं होगी।

मैं इसी के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री दत्ता मेघे : उपसभापति महोदय, इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। आरम्भ में ही मैं श्री अर्जुन सिंह जी का बहुत-बहुत अभिनदंन करता हूं क्योंकि इतने विरोध के बावजूद जिस ढंग से यह बिल आया, सभी लोग और सरकार इसे इतना समर्थन दे रहे हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत आवश्यक भी है। इसमें सरकारी संस्थानों के बारे में जो लिखा है, मैं तो कहूंगा कि कम से कम यह राज्य का विषय भी होना चाहिए। जहां-जहां भी कांग्रेस (आई) के मानने वाले, लोग हैं, केन्द्र सरकार उन राज्य सरकारों को भी आदेश दे। जो निजी संस्थाएं हैं, जिस समय हम उनसे रिकमैंडेशन लेते हैं, उस समय उनमें से किसी भी निजी संस्था को इसे मानने के लिए आप कह सकते हैं।

मैं खुद भी संस्थाएं चलाता हूं जैसे मैडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारे यहां पर 40,000 बच्चे पढते हैं, इस तरह मैं स्वयं भी इसी क्षेत्र में काम करता हूं और आपसे कहता हूं कि

आप यह कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं । इस देश में हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा काम निजी संस्थान ही कर रहे हैं, फिर वह चाहे मैडिकल हो या डैंटल हो । इसके लिए वे लोग काफी पैसा ले रहे हैं तो फिर आप उन्हें क्यों छोड रहे हैं? जब तक श्री अर्जुन जी यहां पर है, तब तक तो आप यह कार्य कर ही सकते हैं। थोडी-बहुत गड़बड़ी तो हो सकती है, क्योंकि निजी संस्थाओं वाले किस तरह से क्या-क्या कार्य करते है, मुझे वह सब मालूम है। लेकिन जो गरीब और पिछडे हुए लोग हैं, सही मायनो मे उनको आप कोई भी स्कोप नहीं देते हैं, मै पूछता हूं, कि हम क्यों उन्हें स्कोप नहीं दे सकते हैं? जब आप ऐसे कॉलेजिज को रिकोग्निशन देते हैं, बहुत सी फैसिलिटीज देते हैं, तो अपनी बातें क्यों नहीं मनवा सकते हैं?

मैं स्वयं एक युनिवर्सिटी में मैडिकल कॉलेज का चांसलर हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे यहां के बच्चे आगे आएं । कई बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं, चाहे वे पूरा वर्ष पढते रहते हैं लेकिन केवल 1% की या 2% की कमी से ही कोई बच्चा इंजीनियर बनने से रह जाता है या मैडिकल कॉलेज में नहीं जा पाता है। मैं अर्जुन सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस कार्य को करने के लिए आगे आएं और मुझे मालूम है कि वह इसे अवश्य करेगे।

जितनी भी निजी संस्थाएं हैं वह उन सभी निजी संस्थाओं से कहें कि जब तक तम अपने यहां आरक्षण नहीं देगे हम आपका रिकमैंडेशन चालू नहीं रखेंगे । इस तरह हम इस कार्य को कर सकते हैं । आप इसमें इन सब चीजों, को ऐड करिए । मेरा मानना है कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि मैं स्वयं ऐसी संस्था को चलाता हूं। इसके माध्यम से निचले स्तर के, खेतों इत्यादि मे काम करने वाले लोगों को भी चांस मिले, इसीलिए हम इन संस्थाओं को चला रहे हैं। मेरा मानना है कि यह काम बहुत ही जरूरी है । जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यह सही बात नहीं है । किसी और को इससे चाहे कोई भी फर्क न पडता हो लेकिन जिसे कभी कुछ मिला ही न हो, जैसा कि अभी श्री अमर सिंह जी ने कहा कि सही बात है। जब बच्चा पढेगा ही नहीं तो कॉम्पिटीशन क्या करेगा?

आज कई इंग्लिश स्कूलों में एक-एक लाख रूपये फीस ली जाती है इंटरनैशनल मिडल स्कूल एंव प्राइमरी स्कूल आ रहे हैं और वहां पर अमीरों के बच्चे पढ रहे हैं। जहां पर हमारे गांवों में पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक ही नहीं मिलते, ऐसे में उस गरीब बच्चे की तुलना उस दूसरे बच्चे से किस तरह की जा सकती है । उस गरीब बच्चे को भी इस देश में हायर एजुकेशन का अधिकार है, इसलिए मैं इस बिल, का समर्थन करता हूं । तहे दिल से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हर जगह पर निजी संस्थाएं काम कर रही हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर मैडिकल एंव इंजीनियरिंग कॉलेज एंव अन्य बडे-बडे कॉलेजों में इनके माध्यम से बहुत अच्छा हो रहा है, उनसे आप यह कहिए कि अगर आपको अपनी यह निजी संस्था चलानी है तो आपको हमारे इस बिल का सम्मान करना पडेगा। सभी को इस बिल का पालन करना पडेगा और यह होना चाहिए तभी सही मायनों में हम सभी लोगों को न्याय देंगे । इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Hanumantha Rao, you have only three minutes.

SHRI V. HANUMANTHA RAO: Mr. Deputy Chairman, Sir.I do not want to take much time because many Members from our Party have already spoken.

Sir, introduction of the Bill providing reservation to the OBCs in the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill, 2006 is an important milestone in the cause of educational development of OBCs and fulfils the long pending demand of the OBCs since Independence. The credit goes to the present UPA Government for which the OBCs are grateful to the Government and my congratulations to the Government.

At present, the OBCs have no proper facilities to study in prestigious public schools like other students due to poverty and lack of such schools in the rural areas. Hence they are not able to come up fast like other sections of the society. The Government must take all measures to improve infrastructure and facilities providing access to quality education in the rural areas to enable them to take advantage of the reservation in NTs and IIMs and other Central educational institutions now made available to the OBCs after 60 years of Independence.

The OBCs and SC/ST students have been demanding enhancement in the rates of the scholarship and mess charges in the hostels, as the present rates are very meagre to meet the cost of maintenance in the hostels, etc. There have been demonstrations in Andhra Pradesh and other places and recently the students in Hyderabad had to face lathi charges by the police for raising their voices for this genuine demand. I earnestly request the Central Government to enhance the allocation for educational facilities for the OBCs at the High School and College level as the present allocation of only Rs. 100 crores for the current year is too meagre to meet the educational needs of the OBCs who constitute more than 60 per cent of the country's population. Unless the Government provides more funds, minimum of Rs. 500 crores for the welfare of the OBCs and enhance educational facilities to have access to quality education at the school level, they will not be able to take advantage of the reservations provided in the Bill. The OBCs must be given good education and coaching facilities in this regard. Before I support, I want to congratulate UPA Chairperson, Shrimati Sonia Gandhi, Shri Manmohan Singh,

Shri Arjun Singh and also all UPA partners, Shri Lalu Prasad Yadav, Shri Karunanidhi and Shri Ramadoss. I support this Bill. I am an OBC candidate, Thank you, Sir.

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal):Thank you, Sir, forgiving me the opportunity on this Bill of very great concern to the people. As we all know, there are many old stories in our country on deprivation, exploitation. Even as long back as the epic of Mahabharatha we find that there are instances of such deprivation and exploitation. If we can recall the story of great Arjun, when he was learning archery, at that time, the little genius Eklavaya was neglected and not given the opportunity to learn as the opportunity was given to the Prince Arjun. It is all due to the deprivation of backward classes even at that epic age of Mahabharatha. It is an irony of fate that Arjun of today has come forward to give opportunities, extending the opportunities for training in higher education to the downtrodden Eklavaya of today. So, I congratulate the hon. Minister Shri Arjun Singh for introducing the Bill. But, we must remember at the same time that when one wants to go against the stream he must have the courage and conviction to go against the stream. As we know, during the renaissance period in Bengal, the great educationist and social reformer, Ishwar Chandra Vidyasagar had to fight hard when he wanted to introduce widow remarriage. He wanted the emancipation of the young widows whose lives were going to be destroyed under social oppression. But he had to face a lot of stiff opposition from the entire society. But he had the courage and conviction to go against the prevailing stream and at last he won in his noble purpose. Similarly, in the so-called caste based society, the tradition is against the downtrodden people, the under privileged people. Unless we give them enough opportunities for their upliftment they will remain below the level of the common people as it was found during the age of Mahabharatha. So, I think, in spite of much opposition, I support the Bill so that we can go ahead with our objective. But, one thing, before I conclude, I must say that there is every possibility of this opportunity being misused. I am afraid that the creamy layer or the economically highly placed people, within the OBCs, will enjoy the cream or fruits of this. So, I think, there has to be a provision for excluding the creamy layer of the OBCs. Unless we exclude the creamy layer, the whole purpose of the Bill will be defeated. Hence, I propose for consideration of the hon. Minister for excluding the creamy layer of the OBCs from the Bilr.

Another thing I wish to say is....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. BARUN MUKHERJEE: Apart from the Central Educational Institutions, unaided institutions should also be brought within the purview of this Bill. The Government should go one step forward to include them in this Bill. Thank you.

कुमारी निर्मला देशपांडे (नाम-निर्देशिक) **:** सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। कि आप ही है, जो मुझे बोलने का अवसर देते हैं।

श्री उपसभापति : शुक्रिया।

कुमारी निर्मला देशपांडे : उपसभापति महोदय, यह जो बिल लाया जा रहा है, इसके बारे में कई लोगों ने कहा है कि इससे बेहतर हो सकता था। बात यह है कि इन्सान जो भी करता है, उससे बेहतर और कोई कर सकता है। लेकिन बेहतर हो सकता है, यह दलील पेश करके जो अच्छा किया जा रहा है, उसका विरोध करना, इसमें कोई बुद्धिमानी दिखाई नही देती है देखना यह है कि क्या यह सही कदम है? क्या सही दिशा में हैं? और जब हम पाते है कि कदम सही है, दिशा सही है, तो कोई कहीं हो, किसी भी दल से संबंधित हो या न हो, उसको इसका समर्थन करना चाहिए। इस सिलसिले में मुझे गांधी जी की एक बात जरूर बतानी है और इसे मैं जरूरी समझती हूं। जब उन्होंने आज से 75 साल पहले दलितों के उद्वार के लिए, सेवा के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जो उन्होंने कहा कि इसकी सेवा का काम तथाकथित उच्च जातियों को करना चाहिए। क्या रामेश्वरी, नेहरू माता तथा आसाम के बरदलोई जी और क्या तमिलनाडु के राजगोपालाचारी , इन सबने इसके द्वारा सेवा की है। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि होना तो यह चाहिए कि इस बिल के समर्थन में जो अपने आपको उच्च जाति का कहते है, उनको आगे बढकर इसका समर्थन भी करना चाहिए , इसके लिए आंदोलन भी करना चाहिए। तब जिसे गांधीवादी विचार कहते हैं, गांधियन Spirit कहते हैं, उसके अनुसार काम हो सकता था और इसीलिए मैं मानती हूं कि हम सब का यह कर्तव्य बनता है, कि हम इसका समर्थन करें। इसके साथ एक बात जोडना जरूर चाहती हूं कि जो समाज के पिछडें, दलित, आदिवासियों में काम करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, हमने देखा है कि शासन द्वारा ये सारी सुविधांए देने के बावजूद समाज की मानिसकता को जब तक हम नहीं बदलते हैं, तब तक पूरा लाभ नहीं हो सकता है। इसीलिए समाज की मानसिकता को बदलने के लिए, जहनियत में तबदीली लाने के लिए हमे एक व्यापक जन-आदोंलन करना चाहिए और इस जन-आदोलन की पहल उन सबको करनी चाहिए, जिनको इससे कोई लाभ होने वाला नही हैं। वे पहल करेंगे कि हमारे भाई-बहनों की, जिनको अधिकार नहीं मिले है, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनको अधिकार

दिलाना हमारा कर्तव्य है । यह मानकर जब इस प्रकार के जन आंदोलन साथ-साथ चलेंगे, तभी हम इसकी जो spirit है, उसको ध्यान में रखकर उसकी सफलता की तरफ बढ सकेंगे । एक बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि आज तक इस प्रकार के आरक्षण में शिक्षित होकर जो लोग कहीं पहुंचे है, वे अपने गांव मे जब जूता पहनकर और छाता लेकर जाते हैं तो वहां उनको प्रताडित किया जाता है । यह जो आज भी समाज की मानसिकता है कि इनकी यह जुर्रत कि हमारे सामने जूता पहनकर आ रहे हैं, इस प्रकार की मानसिकता में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। शासन अपना काम करे, समाज और समाज के सेवको को इस मानसिकता में परिवर्तन लाने में, समता की स्थापना में पहल करनी चाहिए इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. P.J. Kurien. You can take the time that you asked for. It is between you and me.

PROF. P.J. KURIEN: Sir, I will stick to the time that you allowed. Sir, first of all, I would like to state that I support this Bill *in toto.* Having said that, I would like to say or clarify some points which I feel! I should do.

Sir, this Bill excludes the minority institutions from its ambit. I personally feel that the minority institutions should also share the responsibility and burden of implementing social justice. This I am saying keeping in mind, especially, the fact that the hon. Minister is going to introduce another Bill where this reservation will be extended to aided institutions and even unaided institutions. You know that in aided institutions, a large number of good institutions are minority institutions. When we keep away those institutions from the ambit of reservation, I think, on the one side, we are denying the opportunity to a large number of OBCs to enter those institutions, and on the other side, we are denying the minorities to share this burden and the responsibility of implementing reservation and taking this burden. Now, why do I say this? I know there may be Constitutional hurdles, but the Minister has to try to sort it out and find out ways and means of getting over these Constitutional hurdles. He can also talk to the minorities, leaders of the minorities to willingly accept implementing reservation in their institutions. Sir, in Kerala, in 1972, there was a problem similar to this. At that time, the Government of Kerala entered into a dialogue with the minority private institutions, including the minority institutions, then, the minority institutions, all institutions, including the minority institutions, agreed to implement reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in their institutions. So, either legally, or through

a dialogue, I would request the hon. Minister to continue the effort to extend this to them.

Sir, my second point is that there are Dalits among Muslims and Christians also. In fact, genuinely, they are not getting the benefit of reservation. I want the hon. Minister to consider this point. Here I would explain my personal experience. There was a Dalit Christian who studied with me up to SSLC; up to 10th Class, and passed 10th class with me. I see even today he is an agricultural labourer because he is a Dalit Christian, he could not get a job. This is what is happening. Therefore, please consider how benefits can be given to Dalit Muslims and Dalit Christians.

Sir, I have only one more point to make. The third point is that there are very poor people among the forward castes.

Those weaker sections among the forward caste should also be helped. The Government and the Minister should consider some ways, either through reservation or through financial assistance, by which these poorer sections or weaker sections of the so-called upper caste can also be helped. Sir, I have an experience this year when the PG admission to the colleges was taking place. One father with his daughter came to me and requested to recommend in a Christian college, in a minority college, for admission to her. Then, I said, "Maybe you are late; you may not get." And I found that father and the girl together weeping saying that "We have no other, go, please help us." I said, "Why have you no other go?" The father said, "Sir, I am a *brahmin,* nobody to help." Sir, I immediately took up that case, went to the college, talked to the management, press, and got her admission. But this touched my heart. Sir, among the upper castes also, there are a lot of people who are suffering and they have no other go So, the Government should also consider, alongwith this, some reservation, or financial accommodation or help to the weaker sections in the upper castes. This has been upheld by the Supreme Court also. Sir, I have only these three suggestions. I hope the hon. Minister will consider these three suggestions. With these words, I fully support the Bill which the hon. Minister has brought forward. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Malaisamy, you have three minutes. I know it would be very difficult for you, but you must try.

1DR. K. MALAISAMY: Mr. Deputy Chairman, Sir, at the outset, I hasten to pat and praise the hon. Minister of Human Resource Development for

having brought forward a legislation relating to reservation for the OBCs. My only grouse is that it has been brought forward beletedly, but it was long overdue. It should have come earlier. Number two, this has been aimed or envisaged for a limited purpose. According to me, it should have had a comprehensive outlook to take care of more and more. Sir, we have been listening to the entire House. Most of the entire House is in favour of supporting the Bill. There are a few who have reservations on the Reservation Bill. Sir, to be plain with you, the background of Indian conditions are shrouded with a lot of diversities, differences and dimensions in terms of caste, creed, colour, language, religion, ethnic, etc, etc. with the result there were a lot of inequalities, economical, social and educational. How to balance those inequalities? I mean, we need some sort of extra package for the poor, or the depressed, or the oppressed to come along with the upper strata. Sir, take the case of a mother in a family. Suppose, she has two or three children. One of them happens to be sick and infirm. In such a situation, what the mother normally does. She gives extra milk, extra nutrition, so that he or she can come along with the other children. This is the attitude of a mother. The same attitude should be there of the Government. So, they are right in coming with a Bill of this nature. Sir, though it is belated, I have two other points to highlight. I will stick to my time. Sir. As far as this Bill is concerned, now, a lot of difficulties have arisen in reference to the court v11erdicts. Sir, the Indian democracy stands on three pillars, the executive, the legislature and the judiciary, operating through bureaucracy and assisted by the Fourth Estate. These three pillars are responsible for the Indian democracy. I mean, these three pillars should not conflict with each other. They should run and revolve in harmony. Unfortunately, there are frictions between the Legislature and the Judiciary. Sir, I am highlighting only one point. Mr. Deputy Chairman and the hon. Minister may kindly listen to me. In many of the issues relating to reservation, I could see, of late, that the Supreme Court has been very hostile towards that issue. In other words, in mandal's case, they fixed it as 50 per cent, whereas the total population of the BC, the SCs and the STs come to the extent of 90-95 per cent. Only five per cent alone is the upper caste or the forward community. In such a situation, the Supreme Court felt that putting together all reservation, fifty per cent would do. That is number one.

Sir, in Tamil Nadu, thanks to the efforts made by Madam Jayalalitha, — a legislation was passed for providing reservation to the extent of sixty

nine per cent. So, this sixty nine per cent reservation has been included in the Ninth Schedule through Parliament under Article 31. With all that, it went to the Supreme Court, but it is pending. Thirdly, Sir, the Supreme Court has taken a view on creamy layer about which a lot of discussion has already taken place. As far as creamy layer is concerned, that is not an issue before the Supreme Court. But, they have taken cognisance of it. Sir, though no advice of the Supreme Court was sought either by the President or by the Parliament, they have taken cognisance of it.

Sir, with reference to providing reservation up to sixty-nine percent and the creamy layer, there is no issue. Though the concept of creamy layer was not at all provided in the Constitution, a cognisance has been taken What I am trying to highlight here is that the Supreme Court is taking cognisance of a certain issue which is not in existence before them at all What I am trying to ask again and again is that when the Supreme Court is hostile in an issue like reservation, what the hon. Minister is going to do with that? Sir, before I conclude, I would like to seek one or two clarifications.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; there is no need of clarifications. It is not a statement.

DR. K. MALAISAMY: Sir, I am not able to get enough time. I know your problem also. Sir, I will take a minute to sum up.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no clarifications.

DR. K. MALAISAMY: Sir, my first point is, you have mentioned about providing reservation to OBCs in admission in Central Government institutions and aied institutions. What about the Central Government undertakings? There are plenty of Central Government undertakings/ institutions. I assume that they are also included under that That is my first point.

My second point is, there are umpteen number of State institutions and State-aided institutions. I would like to know whether the reservation provided to the OBCs would be extended to them automatically, or, you may try to say that the concerned State Government will look into that. If that be the case, what role you have to play, as far as the State institutions and State-aided institutions are concerned. Sir, there are umpteen number of private institutions and minority institutions. Of course, they are not taking any aid from the Government. What I mean to say, they are not aided institutions.

5.00 P.M.

But what I am trying to say is, they are enjoying umpteen number of concessions, umpteen number of assistances, not in the manner of aided institutions, but in terms of various other ways. In such a situation, what are you going to do ? I would like to know whether you will apply your legal authority or your moral authority in order to do something in that. ...(Time- . bell)... Sir, as far as Tamil Nadu is concerned, sixty-nine percent is-already in vogue. ...(Time-bell)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Brij Bhusan, three minutes.

DR. K. MALAISAMY: Sir, only one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no; you have already taken seven minutes. It is not correct. It is not correct.

DR. K. MALAISAMY: Sir, I will take only one minute. I certainly appreciate it.

MR DEPUTY CHAIRMAN: You say one minute, but you take five minutes. Please conclude.

DR. K. MALAISAMY: Sir, I will take fifty seconds. Now, a privilege has been given. It is pending before the Supreme Court. In case the Supreme Court differs with this view, what are you going to do? A privilege given to a society cannot be taken back. What are you going to do ? ...(Time-bell)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes; Mr. Brij Bhushan. *...(Interruptions)...* Please. Keep all your other queries for the next debate.

DR. K. MALAISAMY: Sir, I am making very valid points. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In that case, you should have taken the first chance. *...(Interruptions)...* Now, I have called the next speaker.

DR. K. MALAISAMY: Sir, finally, I would like to know whether by increasing the seats, *...(Interruptions)...* the quality will suffer. I leave it to you, Sir.

श्री उपसभापति : बृज भूषण जी, कृपया आप तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बृज भूषण तिवारी : उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना

चाहता हूं कि आपने मुझे इस सदन में पहली बार बोलने का मौका दिया है। मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करता हूं। परन्तु जो विरोध, चाहे सदन के बाहर हो या सदन के अन्दर हो, देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि यह सारा विरोध भावनात्मक और राजनैतिक ज्यादा है, तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण कम। उपसभापति महोदय, मैं इस संबंध में यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह जो सारा विरोध है, यह दक्षिण भारत के राज्यों में या आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में कम हैं। इसका सबसे ज्यादा विरोध , यह जो उत्तर भारत और दिल्ली का इलाका है, यहां के लोगों मे सबसे ज्यादा है। इसका एक ऐतिहासिक कारण है । कई माननीय सदस्यों ने इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया कि मद्रास प्रेसीडेंसी में सब से पहले 1831 में आरक्षण शुरू हुआ और आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात आदि प्रदेशो में 1970 में यह सिलसिला शुरू हुआ। महोदय, दक्षिण भारत में एक तर्क यह है कि वहां ओ.बी.सीज. व शेडयूल्ड कास्टस की जनसंख्या उत्तर भारत की जनसंख्या के मुकाबले अधिक है। दूसरी बात यह है कि वहां एक सामाजिक सुधार का आदोंलन चला जिस का एक लंबा इतिहास है। यह सुधार आंदोलन आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भी चला। इसी कारण वहां सामाजिक शक्ति व सामाजिक चेतना पैदा हुई जिस ने वहां की सरकारों को विवश किया जो वहां के उपेक्षित थे, पिछडे थे और दलित थे, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इसीलिए वहां की सक्सैसिव सरकारों ने उसी अनुरूप कानून बनाया और उसी के अनुरूप आदेश पारित किए। यद्यपि उस में सुप्रीम कोर्ट ने रोडे अटकाने की कोशिश की, जैसे कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि वहां 69 प्रतिशत आरक्षण हो गया। महोदय, कुछ आरक्षण विरोधी तत्व थे जिन्होने इसे न्यायपालिका में चुनौती दी और कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, परन्तु वहां की जनता और वहां की सरकारों का इतना दबाव था कि उन्होंने विवश होकर आरक्षण कानून को नौवें शेडयूल में डाल दिया जिस की वैधता के बार में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हैं। महोदय, मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम जब आरक्षण के बारे में विचार करें तो उसे समग्रता में देखने की कोशिश करें। मेरा यह वर्तमान सरकार और कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम है कि उन की दृष्टि या उन की नीयत आरक्षण के बारे में कभी भी साफ नहीं थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उत्तर भारत में कांग्रेस का शिखर नेतृत्व बड़ी जातियों का रहा और दक्षिण भारत में कांग्रेस का कैडर निम्न वर्ग व दलित वर्ग का था। इसीलिए उच्च-वर्गीय कांग्रेस के नेतृत्व या कांग्रेस के दूसरे दल के लोगों ने एक झूठा आवरण डालने की कोशिश की, यह तर्क गढने की कोशिश की कि आरक्षण से सामाजिक कटुता बढेगी, सामाजिक बद-अमली फैलेगी, और इससे मेरिट का सब से बडा नुकसान होगा। महोदय, मैं यहां गांधी जी की एक बात का उद्धत करना चाहता हूं। एक बार एक अंग्रेज पत्रकार ने गांधी जी से पूछा कि जब भारत आजाद होगा तो भारत का प्रधान कौन होगा? गांधी जी ने कहा कि अगर मेरा वश चले तो हमारे आश्रम की सफाई करने वाली लडकी को मैं भारत का प्रधान बनाना चाहता हूं। उस पत्रकार ने कहा कि आप के पास

जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेन्द्र प्रसाद जैसे काबिल लोग है, योग्य लोग हैं, फिर उन की जगह पर आप झाडू लगाने वाली लडकी को प्रधान बनाने की बात करते हैं, तब गांधी जी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि अगर 14-18 साल की लडकी इंग्लैड की रानी और भारत की महारानी हो सकती है तो हमारे आश्रम की चकराया हिन्दुस्तान की प्रधान क्यों नही हो सकती ? उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है । तब गांधी जी ने तीन गुणों का बखान किया । एक तो यह कि अगर मेरे सपनों की लडकी देश की प्रधान होगी तो उस में पहला गुण crystal like purity का होना चाहिए। उस की पवित्रता पारदर्शी होनी चाहिए । दूसरा गुण incorruptibility है। वह हर तरीके से भ्रष्टाचार से परे हो और तीसरा गुण उन्होंने बताया कि उस का कलेजा मजबूत होना चाहिए । She must be of a stout heart. उन्होंने इन तीन गुणों को बखान किया और कहा कि अगर वह प्रधान होगी तो जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभाई पटेल और डा. राजेन्द्र प्रसाद जैसे लोग उस के सलाहकार होंगे और मैं उस का अवैतनिक सचिव होऊंगा । महोदय, यह गांधी जी की दृष्टि थी । तो महोदय, इस आरक्षण का लक्ष्य क्या है? आरक्षण का लक्ष्य कुछ लोगों को पद दे देना, कुछ लोगों की हैसियत बढ़ा देना या कुछ लोगों को ऊंचे पदों पर पहुंचा देना नही है। आरक्षण का लक्ष्य यह नही है । आरक्षण का लक्ष्य है, जाति विनाश, जाति को खत्म करना । जब जाति का विनाश होगा, तब हम एक जाति-विहीन समाज की स्थापना करेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है । जातियों पर हमले बहुत हुए, पहले भी हमले हुए हैं, परन्तु वे हमले एक-तरफा थे, कभी धार्मिक हुए, कभी सुधारात्मक हुए तो कभी-कभी शैक्षणिक हुए । आज जरूरत इस बात की है कि जाति पर चौतरफा हमला होना चाहिए और चौतरफा हमले के लिए यह आवश्यक है कि जो पिछडे वर्ग के लोग हैं , जो दलित वर्ग के लोग है, हमें उनको आरक्षण देना चाहिए, उनको पदों पर बिठाना चाहिए और उनको शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए । मंडल कमीशन ने बहुत स्पष्ट रूप से अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि केवल सरकारी नौकरियो मे ही आरक्षण नहीं हो, बल्कि शैक्षणिक संस्थाओं में भी उनका दखिला होना चाहिए उसमें भी आरक्षण होना चाहिए । उस जमाने के प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और मैं भी संयोग से उस समय लोक सभा का सदस्य था। मेरे सामने मडंल पर यह बहस हुई थी । मंडल कमीशन किन परिस्थितियों में लाया गया, किस जल्दबाजी में लाया गया और क्या उसका लक्ष्य था, वह स्पष्ट नहीं हो पाया । परन्तु हम समाजवादी इस बात के लिए प्रयासरत रहे, प्रयत्नरत रहे कि मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, वे पूरे तौर पर पारित होनी चाहिए । आप जानते हैं कि काका कालेलकर की भी एक कमेटी आई थी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और शिखर पर बैठे हुए जो राजनेता थे, जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने उसको कूडेदान मे फेंक दिया। फिर जिस तरीके से प्रवाह बह रहा था, जिस तरीके से सामाजिक चेतना जागृत हो रही थी, जनता का दबाव, पिछडे वर्गो का दबाव बढ रहा था, उस दबाव की अनदेखी नहीं कि गई और उसके परिणाम स्वरूप 1977 में जब हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी, तब उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने

मंडल कमीशन बिठाया। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक बात कही है कि यह जो आरक्षण का मामला है, यह जो सामाजिक क्रांति का और सामाजिक न्याय का मामला है इसकी लडाई सबसे पहले दिमाग में होनी चाहिए मन में होनी चाहिए। इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। मैं अपने एक माननीय सदस्य के उस सुझाव हो बहुत ही तहे दिल से स्वीकार करना चाहता हूं कि आज प्राथमिक शिक्षा का क्या हाल है, प्राइमरी स्कूल का क्या हाल है। आज प्राइमरी स्कूल अनाथ है। आज छोटे स्तर पर , प्रांरभिक स्तर पर खर्चीले अंग्रेजी स्कूलों की बाढ़-सी आ गई है। हम लोग शुरू से यह मांग करते रहे कि कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा समान होनी चाहिए। Neighbourhood की नीति अख्तियार करनी चाहिए कि जिस विद्यालय में कलक्टर का बेटा पढे, जिस विद्यालय में * और छोटी बिरादरी का बेटा भी पढ़े। मान्यवर, डा0 लोहिया ने एक बार कहा था कि समता हासिल करना बहुत कठिन काम है और आर्थिक समता हासिल करना और भी कठिन काम है परन्तु कम-से-कम जो मानसिक समता है, दिमाग की जो बराबरी है, वह हासिल की जाती है, अगर प्राथमिक स्तर के विद्यालय एक तरह के होंगे। लेकिन यह नहीं किया गया। जमीनों का जो बंटवारा होना चाहिए, वह नहीं किया गया। आपको मालूम है कि पिछले 50 वर्षो में 18 फीसदी से कम जमीनों का बंटवारा गरीब लोगों के बीच में हुआ। इस प्रकार जो आर्थिक उत्थान कर सकते थे, जो दिमागी बरबरी का माहौल पैदा कर सकते थे, जो एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था ला सकते थे, उसकी तरफ कोई प्रयास नहीं किया गया। केवल संकुचित दृष्टि से, केवल स्वार्थ की दृष्टि से और केवल तात्कालिकता की adhocism की दृष्टि से ही जब हम ऐसी नीति को अख्तियार करने की कोशिश करेगे, तो जाति एक शाप के समान है। अगर अनाड़ी सांप को छेड़ेंगा, तब वह सांप उसे काट लेगा, मगर यदि सिद्धस्त आदमी, होशियार आदमी समझदारी से उस सांप पर हमला करने की कोशिश करेगा, तो सांप मर जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : यह आपकी मैडेन स्पीच है। ...(व्यवधान)... मैं आपको इंटरप्ट नही करना चाहता, मगर वक्त का ख्याल रखिए ...(**व्यवधान**)...

श्री बृज भूषण : इसलिए मैं चाहता हूं कि आधे मन से इसका पालन नही होना चाहिए। परन्तु माननीय मानव संसाधन मंत्री ने इस तमाम रूकावटों की सीमाओं के बावजूद एक अच्छा काम किया है इस पर बहुत विचार-विमर्श करने के बाद यह बिल लाया गया है इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरी राय में सभी पक्ष के लोग इस बिल का समर्थन करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्रीमती वृंदा कारत जी। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : सर, इसमें हमारा भी नाम था। ...(**व्यवधान**)...

*Expunged as ordered by the Chair

श्री उपसभापति : आपका नाम तो था, मगर क्या है कि आपकी पार्टी को तीन बार मौका दिया गया है।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, मेरे सिर्फ तीन सवाल है, मैं कोई भाषण नहीं दे रही हूं। स्टेडिंग कमेटी की सदस्या होने के नाते उस कमेटी मे जो पूरी बहस हुई तो तीन मुख्य सवालों पर सबकी एक राय थी और मैं चाहूंगी कि जब मंत्री जी जवाब दें तो वह हमें बताएं कि उनके बारे में उनका क्या मत है।

एक तो यह था कि जब हम ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं और सर्वसम्मति से सबकी राय थी कि वह जरूर होना चाहिए, उसमें एक बात थी कि ओबीसी मे जो लडकियां हैं, जो स्कूल के समय परीक्षा मे काफी अच्छे मार्क्स लेकर आती है, तो हमने ओबीसी रिजर्वेशन में कोई रिजर्वेशन के रूप में सिफारिश नहीं की, लेकिन इस बात को जरूर कहा कि रूल्स में या जब आप इंस्टिटयूशसं को गाइडलाइंस दे तो ओबीसी की लडकियों के बारे में निश्चित रूप से कोई गाइडलाइन देना बहुत जरूरी है , वरना इस रिजर्वेशन का पूरा फल उनको नहीं मिलने वाला। पहली बात तो यह है और मैं समझती हूं कि स्टेंडिंग कमेटी की यह सर्वसम्मत राय थी, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे।

दूसरी बात , इस पर हमारी चिंता थी कि इस बिल में एक शैडयूल बनाया गया , उस शैडयूल को बदलने का पूरा अधिकार भी सैंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। हमारे सदस्यों की चिंता इस बात की थी कि उस शैडयूल को किसी भी वक्त बदलकर रिजर्वेशन के अधिकार को काटा जा सकता है उसमें कोई क्राइटीरियां नहीं है कि किस आधार पर उस शैडयूल को चेंज किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा और रिजर्वेशन उससे समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं समझती हूं, कि एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इस पर था कि हम सैंट्रल गवर्नमेंट को खुली छूट नहीं देना चाहते, इसलिए उस पर यह बात थी कि कम से कम पार्लियामेंट का नियंत्रण इस पर हो कि अगर शैडयूल को बदलना है तो उसे बदलने से पहले पार्लियामेंट की इजाजत ली जाए, यह हमारी दूसरी महत्वपूर्ण बात थी।

तीसरी बात , माइनॉरिटीज के बारे में कुछ साथियों का उसमे विरोध था, लेकिन बहुमत से यह बात थी कि और माइनॉरिटी कमीशन ने आकर अपने आंकडों के आधार पर कहा कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड में माइनॉरिटीज का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन रिजर्वेशन में उनका हिस्सा अनुपात से नहीं है हम कोई रिजर्वेशन की सिफारिश नहीं दे रहे थे , लेकिन हमने कहा कि कम से कम रूल्स में या गाइडलाइंस में माइनॉरिटीज साइडलाइन न हों, उसके लिए भी गाइडलाइंस में कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह तीसरी बात थी, जिस पर अभी बात नहीं हुई।

चौथा और आखिरी जो मेरा प्वांइट है, हालांकि कुछ साथियो ने उसको उठाया, लेकिन मैं फिर दोबारा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगी कि उस बारे में वे कुछ रोशनी डाले कि सरकार इस बात को क्यों

नहीं मान रही है। स्टेंडिग कमेटी की तरफ से हमने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की की उस राय से, बहुत विद्वान जज हैं, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे है, लेकिन उस राय से स्टेडिंग कमिटी सहमत नहीं थी कि क्रीमी लेअर को ओबीसी कोटा से बाहर रखा जाए, हम उससे बिल्कुल सहमत नही थे। इसलिए स्टेंडिंग कमिटी की तरफ से यह रखा गया कि देश के बहुत सारे प्रदेशों में, जहां केटेगराइजेशन आलरेडी हो चुका है, यह कोई नई बात सैंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, तो क्यों नही उस केटेगराइजेशन के रूप में अगर हम उस क्लाज को इसमें जोड देते हैं कि पहले स्तर मे जो क्रीमी लेअर से बाहर ओबीसी के हैं, उनको पहले मौका दिया जाए और अगर उनसे यह जो फुलफिल्ड नहीं होता तो निश्चित रूप से क्रीमी लेअर के साथी है, उनको मौका मिलना चाहिए। स्टेंडिंग कमिटी बिल्कुल उस बात से सहमत नहीं थी, इसलिए हम यह समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसंले के कारण जो एक चिंता बनी, जो जायज चिंता है, लेकिन केटेगराइजेशन जहां हो चुका है, उस पर जो स्टेंडिग कमिटी की जो राय है, मंत्री जी अगर उस पर रोशनी डालें, तो अच्छा होगा। सर, ये चार मुद्दे मैं रखना चाहती हूं।

श्री मंगनी लाल मडंल : माननीय उपसभापति महोदय, मुझे बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। बृजभूषण जी समाजवादी आंदोलन के हमारे पुराने साथी हैं, इनका मेडन स्पीच था, बहुत अच्छा भाषण हुआ। अभी नहीं है, वे चले गए हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। यद्यपि मेडन स्पीच में रोका नहीं जाता, लेकिन उनको रोका गया। लेकिन, उन्होंने वर्ण व्यवस्था, आरक्षण और आरक्षण से समाज में क्या फलाफल होगा, उसके बारे में उन्होंने बातें रखी। महोदय, मैं दो-तीन बातों का उदाहरण देकर बैठ जाना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि मैरिट की बात भी होती है। और सामान्य कोटि में गरीब लोंगों की बात भी होती है। शिव सेना के हमारे एक साथी है, अभी वे चले गए हैं, वे शिवाजी महाराज का बहुत नाम लेते है। हम भी गर्व से उनका नाम लेते है, लेकिन जब शिवाजी महाराज के राज-तिलक की बात आई तो देश के ब्राह्मणों ने कहा कि आपको राज-तिलक नहीं होगा, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था में न तो आप क्षत्रिय है और न ही ब्राह्मण हैं, आप शुद्र हैं और फलस्वरूप जब तक उन्होने अपना सेनापति ब्राह्मण नही बनाया, तब तक शिवाजी महाराज का राज-तिलक नहीं हुआ। यह वर्ण व्यवस्था है और आरक्षण का विरोध करने के पीछे आज तक यही मानसिकता चली आ रही है।

महोदय, दूसरी बात मेधा की की जाती है , बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर गायकवाड़ के स्टाईपेंड (Stipend) पर लंदन पढने के लिए गए और जब वहां से पढ़ कर वापस आए तो उनका यह अनुबंध था, एग्रीमेंट था कि पढ़ कर आयेंगे तो उनके यहां पर नौकरी करेंगे और उनका जितना पैसा स्टाईपेन्ड में लिया है, वह पैसा चुकता कर देंगे। जब यह गायकवाड़ जी के अर्थमंत्री हो गए, यह तो दलित थे, शूद्र थे, लेकिन जो इनके चपरासी थे वह ब्राह्मण थे। अपर क्लास के थे किन्तु मूर्ख

थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर दफ्तर में बैठते थे, तो वह चपरासी, आदेशपालक, जिसे हमने आज अनुसेवक बना दिया, वह ऊपर से टेबिल पर संचिका टपकाता था। जब वह घर पहुंचता था तो उसकी पंडिताइन एक घड़ा पानी और एक बोतल गंगा जल मिला कर रखती थी कि पंडित जी स्नान करके घर के अन्दर जाएंगे। क्योंकि वह अम्बेडकर के टेबल पर फाइल पटक कर आए हैं, इस तरह मेधा की बात यदि हम करते हैं तो अम्बेडकर जी का कहां सम्मान हुआ, जबकि वह बहुत बडे विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, लॉ के ज्ञाता थे और दूसरी ओर वह मूर्ख ब्राह्मण था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गया और बाबा साहब अम्बेडकर नीच हो गए, अधम हो गए, पतित हो गए।

महोदय, मैं तीसरा उदाहरण देना चाहूंगा ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : श्री जगजीवन राम जी की मूर्ति का भी तो ...(**व्यवधान**)...

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात) : वह वर्ण व्यवस्था के ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : बरोट जी, आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... यह सीरियस डिस्कशन हो रहा है, आप बैठ जाइए।

श्री मंगनी लाल मंडल : नहीं, नहीं वह ठीक है ...(**व्यवधान**)... असल में आपकी बात तो आ गई है, हम अपनी बात कह रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आपने ही तो यह चर्चा की है ...(**व्यवधान**)... आपने ही यह चर्चा की है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : बरोट जी, आप क्यों बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... मंडल जी, आप बोलिए।

श्री मंगनी लाल मंडल : आप मैरिट की बात करते हैं ...(**व्यवधान**)... नहीं, आप मैरिट की बात करते हैं।

महोदय, यह जो दो उदाहरण हैं, यह जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, यहा डिवीजन ऑफ लेबर हैं। आज * का बेटा शौचालय साफ करता है, दलित का बेटा शौचालय साफ करता है, लेकिन सवर्ण में ब्राह्मण यदि कोई गरीब होता तो वह भीख मांग लेगा। वर्ण व्यवस्था के चलते उनके मन में इतना अधिक गुमान है, कि वह शौचालय साफ नहीं करेगा, झाड़ू नहीं लगाएगा और गरीब के मन में हीनता का भाव है। इसलिए यह जो आरक्षण है, यह न तो किसी के प्रति, जैसा कि आप कह रहे थेकि कहीं जश्न होगा और कहीं मातम होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं महात्मा गांधी को नमन करना चाहता हूं , साथ ही कृतज्ञ राष्ट्र बराबर उन्हें नमन करता है। स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में जो राष्ट्रीय सहमति बनी थी, जिन आदर्शो पर एकमत सहमति बनी थी और जिनमें हमारे नेताओं की प्रतिबद्धता बनी थी, कि उसी प्रतिबद्धता के आलोक में, जिनको आपने फाइल पटक कर दी, उन बाबा साहब

*Expunged as ordered by the Chair.

अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया । संविधान में उन्होंने जो व्यवस्था कीहै, यह जो डिवीजन ऑफ लेबर है, यह जाति के आधार पर है । योग्यता के आधार पर यह तभी होगा, जब जाति के आधार पर श्रम का विभाजन समाप्त होगा । इसीलिए आरक्षण के लिए मैं श्री अर्जुन सिंह जी को आज बधाई देता हूं, मैं बहुत भावुक भी हूं, यथार्थवादी भी हूं और सिद्धांतवादी भी हूं और ये तीनों विचार लेकर मैं खड़ा हुआ हूं । जब ये मुख्यमंत्री थे, तब बिहार में हमारा समाज वर्टिकल बंटा हुआ था, जब हम कहते थे कि –

"संसोपा ने बांधी गांठ

गांठ पिछड़ा पावे, सौ में साठ"

सवर्ण लोग हमें दुश्मनी से देखते थे कि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन मान्यवर श्री अर्जुन सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जब प्रदेश में आरक्षण लागू किया तो कहा कि इस प्रदेश में यह दूसरा क्षत्रिय धर्म लागू हो रहा है जो जितने पिछडे हैं, उन लोगों को मध्य प्रदेश चला जाना चाहिए । क्यों कहा महोदय । महात्मा बुद्ध की चर्चा हुई है । महात्मा बुद्ध ने क्या कहा ? जो एक समान पैदा हुआ, एक विधि से पैदा हुआ एक प्रकार से पैदा हुआ । वे सब बराबर है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो । जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि निकाल दो वर्ण व्यवस्था, सब बराबर है तो महात्मा बुद्ध का विरोध किया और कहा कि क्षत्रिय धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये क्षत्रिय है । इसलिए आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी को अगर गाली दी जाती है तो यह स्वाभाविक है । स्वाभाविक इसलिए है कि गाली दी जाएगी क्योंकि अर्जुन सिंह जी किसी के घर में मातम मनाने के लिए, किसी के घर में खुशी मनाने के लिए यह विधेयक नहीं लाए हैं । मैं उनके साथ अन्याय करूंगा यदि यह कहूं कि पिछडे के प्रति, अनुसूचित जनजाति के प्रति या अनुसूचित जाति के प्रति इनकी विशेष सहानुभूति है, इसलिए यह विधेयक लाए हैं । यह बात नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि यह देश बारबार गुलाम क्यों हुआ । बारबार गुलाम इसलिए हुआ है कि इस देश में कॉस्ट सिस्टम रहा है, वर्ण व्यवस्था रही है और मुट्ठी भर लोगों ने राज चलाया है और देश के बहुसंख्यक लोगों को वर्ण व्यवस्था के चलते अपने राजकाज से अलग रखा है । श्री अर्जुन सिंह जी को यह कंविक्शन है कि यह देश फिर बारबार गुलाम नहीं होना चाहिए देश के जो बहुसंख्यक लोग है, गरीब है, पिछडे हैं, दलित हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए इसलिए उनको शिक्षा का विशेष अवसर मिलना चाहिए । नारायणसामी जी ने प्रायोरिटी की बात की । मैंने कहा कि यह मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, यह विशेष अवसर है । विशेष अवसर इसलिए हैं कि इन्होंने जैसे ज्ञान को बाधं कर रखा । सूरज की रोशनी और हवा पर किसी का नियंत्रण नहीं हैं, वैसे ही ज्ञान है । आपने गांव के दक्षिण में हमारा घर बनाया, मिट्ठी का घर बनाया और कहा कि खिड़की बदं करो, तुम्हारे घर में रोशनी नहीं आएगी । यह देश आजाद हुआ है, संविधान में व्यवस्था हुई है

---

*Expunged as ordered by the Chair.

और आजादी के आंदोलन के आदर्श को उसमें रखा गया है तो * आप कहते हैं कि मेरिट की बात करते हैं तो *के मामले में मैरिट की बात क्यों नहीं होती है। महोदय, मैं दो-तीन बात कहना चाहूंगा। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। मंडल कमीशन ने जो रिकमेंड किया है, मैं काका कालेलकर आयोग के बारे में नहीं कहूंगा, मंडल कमीश विस्तार से गया था और 6500जातियों को उन्होंने आइडेटिफाई किया, उनका अध्ययन किया। काका कालेलकर आयोग ने सिर्फ दो हजार जातियों का अध्ययन किया था। मंडल कमीशन ने, जिसके बारे में नारायणसामी जी तथा दूसरे साथियों ने चर्चा की है, मडंल कमीशन ने कहा है कि,

"Seats should be reserved for OBC students in all scientific, technical and profession institutions run by the Central as well as the State Governments. This reservation will fall under Article 15 (4) of the Constitution and the quantum should be the same as in the Government services, that is 27 per cent. The States which have already reserved more than 27 per cent seats for OBC students will remain unaffected."

यह मंडल कमीशन ने कहा है। लेकिन यह जो बिल आया है मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं मैडम सोनिया गांधी जी को, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि जब नारायणसामी जी से, हनुमंत राव जी से, हरिप्रसाद जी से पूछते थे कि क्या होगा, तो ये लोग कहते थे कि मैडम गांधी पर विश्वास रखिए, प्राइम मिनिस्टर पर विश्वास रखिए और श्री अर्जुन सिंह जी पर विश्वास रखिए, क्योंकि अर्जुन सिंह जी किसी राजनीतिक शक्ति से मात्र यह काम नहीं कर रहे हैं, ये कंविक्शन से, जो समाज के प्रति, कॉस्ट सिस्टम के प्रति और जो हमारे समाज में विसंगतियां हैं उसके प्रति जो उनकी मान्याताएं है , कंविक्शन हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1993 में आपने मंडल कमीशन लागू किया। महोदय, अभी जो स्थिति है वह सरकारी नौकरी मे हैं। यह कहा जाता है कि 12-13 परसेंट सभी कर्मचारियों को मिला करके आपने यह किया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको आपने नहीं बनाया है। आपने इसमें क्रीमी लेयर को हटाया है। यह अच्छी बात है, सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते है श्री रामदास जी को डा. कलिंगा को, आरदरणीय करूणानिधि को, लालू प्रसाद जी को, मैडम गांधी को और आपको तथा सब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने क्रीमि लेयर को हटा दिया। लेकिन गलियारे में यह बात चल रही है कि जो लोग यहां आरक्षण के पक्ष में बोलेंगे, वे भी गलियारे में कह रहे हैं कि मैटर तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि क्रीमि लेयर के बारे मे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसलिए सरकार तो पास कर देगी, हम तो यहां वोट कर देंगे, चेहरा बचा लेंगे। ...(**समय की घंटी**)... लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। इसीलिए आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी से हम कहना चाहेंगे और लॉ मिनिस्टर श्री यहां पर मौजूद हैं, क्रीमि लेयर के बारे में कोई राजनैतिक इच्छा शक्ति इसमें लानी चाहिए।

*Expunged as ordered by the Chair.

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा। सर, दो मिनट।

श्री उपसभापति : आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)... हमको एक बिल और लेना है।

श्री मंगनी लाल मंडल : सर, आधा मिनट। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयन्ती लाल बरोट : सर, दलितों के लिए और पिछडों के लिए सभी से सहमत है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मंडल जी, आप समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये। ...(**व्यवधान**)...

श्री मंगली लाल मंडल : महोदय, ये पिछड़ा भी बनायेंगे, मंदिर में भी नहीं जाने देंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मंडल जी, आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप कन्क्लूड कीजिए। देखिए, यही प्राब्लम है। ...(**व्यवधान**)... आप लो टाइम भी पूछते हैं और टाइम के बराबर बात भी नहीं करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मंगनी लाल मंडल : सर, टोटल क्लास वन आफिसर 81325 हैं और ओबीसी, शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स इस 81325 में मात्र 4147 हैं। यह कहां का न्याय है। मैं पूछता हूं कि आपने मंडल कमीशन बनाया, आपने संज्ञेय अपराध भी बनाया, आपको मैकेनिज्म डेवलेप करना होगा।

श्री उपसभापति : मंडल जी , आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)... आपने दो-तीन मिनट के लिए कहा था। ...(**व्यवधान**)...

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। यह आंकड़ो की बात है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मडंल जी, देखिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये। आपको तीन मिनट समय बोलने के लिए दिया गया था। यह सही बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आप बड़बड़ मत कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री तारिक अनवर : सर, यह अच्छी बात बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : यह ठीक है कि वह अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन वह दो घंटा बोल सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री मंगनी लाल मंडल : सर, क्लास टू की सर्विस में कुल अधिकारी 352827 हैं और उसमें से ओबीसी, शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स मात्र 59000 हजार है। यह कहां का न्याय है। इसीलिए यह जो मंडल कमीशन आने के बाद।

श्री उपसभापति : आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री मंगनी लाल मंडल : क्लास वन में ओबीसी, शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब्स सिर्फ साढे तीन परसेंट है । यह बैंक लॉग हमारा कैसे पूरा हो और कैसे क्रीमि लेयर के मामले में और काग्नीजेबल आफेंस बनाने के लिए, आरक्षण को लागू करने के लिए, जो काम हो सकता है, वह काम सरकार को करना चाहिए । मैं पुनः यूपीए चेयरमैन मैडम गांधी को, प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी को और शिक्षा मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय उपसभापति महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने आज की इस डिबेट में भाग लिया है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होने अपने-अपने विचारों से इस विधेयक के मतंव्य को और यूपीए सरकार के इरादे को पारिभाषित किया है , इसका मैं स्वागत करता हूं । माननीय सदस्यों ने कृपा पूर्वक व्यक्तिगत रूप से जो मेरे लिए कहा है, मै आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत हैसियत सबकी होती है लेकिन इस विषय में, मैं अपनी पार्टी और पार्टी के नेतृत्व के विचारों और उनकी प्रतिबद्धता से जुडा हुआ हूं । और शायद यह विधेयक इस रूप में भी नहीं आता यदि कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी का पूरा समर्थन इसमें नहीं होता । जहां तक बहुत से जो अलग-अलग सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों के मामले में मैं आज तो इतना ही कह सकता हूं कि जितने भी सुझाव इस विधेयक के कार्यान्वयन में सहायक होंगे, उन सभी सुझावों का हम सम्मान करते हैं और प्रयास करेगे कि उन सुझावों को कार्यरूप में परिणत किया जा सके । कुछ संशोधनों की बात कही गयी । उन संशोधनो के बारे में, जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन दिए हैं । उनकी मंशा पर मैं किसी प्रकार का निशान नहीं उठाना चाहता हूं लेकिन उन परिस्थितियों का जरूर बयान करना चाहता हूं जिनकी वजह से वे संशोधन मानने में मुझे परेशानी है । उपसभापति महोदय, आपको विदित है कि यह विधेयक, मूलतः आर्टिकल 15(5) के तहत लाया गया है जो पिछले वर्ष एक संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोडा था । उसके जो प्रावधान है, उनको देखते हुए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीटयूशंस उनकी परिधि के बाहर रखे गए हैं और उनको इस विधेयक की परिधि के अदंर लाने में वैधानिक दिक्कत है। उस दिक्कत कें सबंध में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता हूं क्योकि जब संविधान बदला जाएगा, तब ही उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है । इसी प्रकार से ये सुझाव कि "सोशली, एजुकेशनली बेकवर्ड" शब्दों की जगह पर "सोशली, एजुकेशनली एंड इकानॉमिकली बेकवर्ड" जोड़ा जाए, उसी वजह से इसका भी समावेश करना सभवं नहीं है एक शंका उठायी गयी है कि 'Centain' इसलिए जोडा गया है क्योंकि इस विधेयक में ही सभी सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीटूयशंस नहीं लाए गए हैं कुछ एक्सेप्शंस है जैसे शेडयूल्ड – 6 वाले एरिया में लागू नहीं होगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशसं में लागू नहीं होता और विधेयक के शेडयूल्ड के मुताबिक कुछ इंस्टीटयूशसं में लागू नहीं होगा । उनके संदर्भ में 'cetain' शब्द इस्तेमाल किया गया है । यह नहीं कि इसकी वजह

से हमें कोई और छूट दे दी गयी है कि जिसको चाहें आप 'centain' में शामिल कर लें जिसको, चाहे उसे निकाल दें । उपसभापति जी, बहस की परिधि काफी व्यापक रही है । हमारे अहलुवालिया जी ने अपनी प्रखर विश्लेषण क्षमता का परिचिय देते हुए बहुत से सवाल पूछे । अंग्रेजी मे एक बहुत मशहूर कहावत है, पता नहीं कहावत है या किसी का कहा हुआ है , लेकिन विचार काफी प्रचारित है कि – "if you try to answer all the lifs' of History, you might end up where you would not like to be." इसका उत्तर मैं आज यहां खडे होकर कैसे दे सकता हूं ? अपनी सीमित बुद्धि के मुताबिक मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह बात सही है कि बहुत से कदम जो ऐसे समय में उठने चाहिए, थे वे नहीं उठाए गए । इसका दोष किसी के ऊपर देना शायद न्यायसंगत नहीं होगा और संभव भी नहीं होगा ।

उपसभापति जी, सवाल यह है कि आज यह महसूस किया गया कि backward classes को Central Educatioal Institutations में रिजर्वेशन देना है और उसको मद्देनजर रखते हुए, यह विधेयक लाया गया है । जहां तक Private Unaided Institutions का सवाल है, उसके संबंध में एक अलग विधेयक तैयार हो गया है और उम्मीद है कि जैसे ही और प्रक्रियांए पूरी हो जाएगी, वह विधेयक भी सदन के सामने आएगा ।

उपसभापति जी, भारत एक बहुत ancient civilzation है और केवल 60 वर्ष का आधुनिक राष्ट्र है । एक पुरानी सभ्यता और एक आधुनिक राष्ट्र के बीच में हजारो सालों का इतिहास है । अगर हम आज इतिहास के उन सब गलत पहलुओं को सुधारने चले या जो कुछ भी सही हुआ है, उसको उलटने चले, तो मै समझता हूं कि ऐसा करने का न तो दुस्साहस करना चाहिए और न ही आधुनिक संदर्भ में यह संभव है । हम लोगों को आज यही जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है कि हमारे संविधान में जो प्रावधान है , हम उन प्रावधानों को इस तरीके से अमल में लाएं, जिससे उन प्रावधानों के मूल में सविधान बनाने वाले की जो मंशा थी , उस मंशा को हम पूरा कर सकें । यह मंशा और चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन यह जरूर थी कि हम एक समृद्ध और समानता पर स्थापित तथा भविष्य में विकास की असीम संभावनाएं लिए राष्ट्र का निर्माण करे यह हमारा सौभाग्य है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय के हमारे सभी महाना नेताओं ने, समय-समय पर जिनके हाथों में इस राष्ट्र की जिम्मेदारी रही, श्रीमती इन्दिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, और भी जो हमारे राष्ट्र के कर्णधार बने, मौलिक रूप से इस देश को आगे बढ़ाने की ही उनकी मंशा थी, उस मंशा को हम कायम रखें और अपने प्रयासों से भारत के भविष्य के निर्माण करने में सहायक बने । मैं समझता हूं कि इस दिशा में यह विधेयक एक बहुत छोटा सा प्रयास है । मैं कभी भी ऐसी बात नहीं कह सकता कि हमारा कोई अन्तिम निर्णय है । एक बदलते हुए परिवेश, आधुनिक युग की अलग-अलग आवश्यकताओं का समावेश हमारे हर निर्णय पर होना पडेगा । यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम किसी प्रकार की इति नहीं होने दें और सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास करें । यह काम

बहुत सरल नहीं है। लेकिन काम सरल न भी हो, लेकिन प्रयास न किया जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। इसीलिए यह जो ज्यादा-से –ज्यादा तीन वर्षो में इसको लागू करने का प्रावधान है , यह बात को टालने की बात नहीं है। कई व्यावहारिक कठिनाइया है उन व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रख कर ही हम आगे बढ सकते हैं। हम अगर चाहे कि आज अचानक सब कुछ हो जाए, तो ऐसी घोषणा तो हम कर सकते हैं, लेकिन कार्य रूप में उनको परिणत कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए प्रधान मंत्री जी की यह मंशा थी कि हम जितना कुछ कर सकें, उतना ही कहें। उसमें एक सीमा जरूर बांध दें कि ऐसा नहीं है कि अब यह बहुत दिनों बात टलती रहे। इसलिए उसके लिए ज्यादा-से-ज्यादा तीन वर्षो का समय रखा गया है।अगर 2007 में कोई यूनिवर्सिटी, कोई विद्यालय, जो केन्द्र के अन्दर है, इस बात को लागू करने के लिए तैयार है उनके पास संसाधन है , उनके पास स्थान है , फैक्ल्टी है, तो करें। इसमें किसी को रोक नहीं है। लेकिन सभी जगह एक समय सीमा बांधी गई है कि तीन वर्षो के अन्दर इस बात को लागू करना ही पडेगा। वहां कोई विकल्प नहीं है। वहां आगे बढ़ाने को छूट नहीं है। इसके लिए सांधन 11वीं पंचवर्षीय योजना में जुटाए जाएंगे और उन संसाधनों का उपयोग इस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह इस सरकार की एक वचनबद्धता है, उसको पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, यह मैं सदन को आश्वासन करना चाहता हूं।

अभी स्टैंडिंग कमेटी की अलग-अलग observations के बारे मे एक बात उठाई गई। स्टैंडिंग कमेटी की observations के बारे में जहां तक सभवं हो सका हमने उसे संशोधन के रूप में स्वीकार किया था और लोक सभा में उसको पारित भी किया था। कुछ ऐसी बातें कही गई कि इस शैडयूल को चुपचाप बदल कर एक नई लिस्ट शामिल करने का अधिकार शासन को नहीं होना चाहिए। यह अधिकार शासन ने लिया भी नहीं। जो भी संशोधन इस शेड्यूल में होगा, बहुत आवश्यकता हुई यह करने की, तो वह संशोधन दोनो सदनों में रखा जाएगा और सदन की अनुमति से ही उस मे कोई शाश्वत तब्दीली होगी, अलग से कोई चीज नहीं होगी।

महोदय, लडकियों के बारे में जो बात कही गयी है, वह निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है और केवल रिजर्वेशन के मामले में नहीं, लडकियों की समूची शिक्षा के मामले में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर अलग-अलग क्षेत्रों मे काम शुरू हो गया है और आप इस बात पर विश्वास रखें कि जहां तक लडकियो की शिक्षा का सवाल है, उस बारे में जो भी करना संभव है सांधनों के सिलसिलें में या और किसी प्रावधान के सिलसिलें में, उस का पूरा-पूरा ध्यान रख जाएगा, उस को पूरा किया जाएगा।

महोदय, आज की बहस में कुछ व्यापक संदर्भो की भी चर्चा आई है। शायद किसी और अवसर पर उस प्रकार की चर्चा का कोई सीधा संदर्भ हो, वे चर्चाए हो, मैं समझता हूं कि अपने गणतंत्र के लिए वह लाभदायक है। आदरणीय उपसभापति महोदय, जैसाकि मैने शुरू में कहा, एक

पुरानी सभ्यता और एक आधुनिक राष्ट्र के मिलन में, सामंजस्य में, कुछ परेशानियों पैदा होती है। लेकिन उन परेशानियो का हमें सामना करना चाहिए ताकि उन से भयभीत होकर कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए । मैं जानता हूं कि इतिहास के उतार-चढाव में ऐसी बहुत सी परिस्थतियां आती है जब प्रतिबद्धताओं का आकलन होता है और विश्वासों को तौला जाता है । मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय गणतंत्र का इतिहास जिन सिद्धान्तों पर रखा गया है । जो हमारे संविधान में उद्धत हैं वे सिद्धांत ऐसे सामान्य सिद्धांत नहीं है । वे सिद्धांत एक अत्यंत प्रगतिशील, अत्यंत भावात्मक और भविष्य से जुडने की आकांक्षा को लेकर रखें गए हैं। महोदय, हम सब को याद है कि 14 अगस्त की उस मध्य रात्रि को जब पंडित जी ने वह भाषण दिया था, जब कि वह "मदर इंडिया" को गाइड कर रहे थे, towards tryst with destiny. उन्होंने यही कहा कि आज हम अपनी सभी पुरानी प्रतिबद्धताओं को, सकल्पों को स्वरूप देने जा रहे हैं । यह बात सही है कि उन में से बहुत कम पूरा कर सके और बहुत अभी पूरे करने बाकी है, लेकिन उस दिशा से भटकने का सवाल नहीं था । आज वही संकल्प हम सब को फिर करना है । मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को लोक सभा ने काफी अहमियत दी, आपने दी, और जो संविधान संशोधन इसी सदंर्भ में लाया गया था, उसे आप ने एकमत से पारित किया था। आज ससंद की मोहर लगाते समय आप उन्हीं भावनाओं से इसे भी एक मत से पारित करेंगे, यह मेरी आपसे प्रार्थना है । मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN. Now the question is—

That the Bill to provide for the reservation in admission of the students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes of citizens, to certain Central Educational Institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are two amendments by Shri S.S. Ahluwalia. Shri Ahluwalia, do you want to say something?

Clause 2: Definitions

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I move:

(No. 2) That at page 2, after line 21, the following be inserted namely:—

"(vi) a minority educational institution maintained by or receiving aid from the Central Government whether directly or indirectly;"

(No. 3) That at page 2, line 29, for the words, "socially and educationally backward" the words "socially, educationally and economically backward" be substituted.

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब देते वक्त मेरी पहली अमेंडमेंट का उल्लेख करते हुए कहा कि जब पिछले वर्ष संविधान संशोधन हुआ था, उस वक्त उसमें एक प्रावधान था। ऐसा प्रावधान था कि उसमें माइनॉरिटी इंस्टीटयूशंस एक्सक्लूड किए गए थे । वह प्रावधान था । इसी शंका को देखते हुए , मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी ने उस वक्त भी संशोधन दिया था और हमारी पार्टी की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी बोली थी । उन्होंने बोलते वक्त कहा था कि यहां शैडयूल्ड कास्ट, शैडयूल्ड ट्राइब और ओ.बी.सी. में थोडा फर्क हैं । जब हम Socially or educationally backward of citizen कहते हैं तो वे ओ.बी.सीज है, हिन्दू के, मुस्लिम, सिख और ईसाई के । आपके इस संशोधन से या संविधान संशोधन के माध्यम से और इस विधेयक से , यह अधिकार तो होगा एक मुस्लिम ओ.बी.सी. को सिख ओ.बी.सी. को और एक क्रिश्चियन ओ.बी.सी. को, कि वह किसी भी शैक्षाणिक संस्था में, केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक संस्था में, जहां रिजर्वेशन है, उसका पूरा-पूरा लाभ ले सके । अर्थात् अगर वह सेंट स्टीफन में एडमिशन लेने जाता है, तो वहां उसका एडमिशन ओ.बी.सी. कोटा मे नहीं हो सकता। किन्तु हां, अगर वह हंसराज कॉलेज में जाता है या हिन्दू कॉलेज में जाता है, तो उसको वहां रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। अगर वह क्रिश्सिचयन मेडिकल कॉलेज में जाता है, तो वहां उसे वह लाभ नहीं मिलता, पर दूसरी किसी भी संस्था में आता है, तो वहां पर उसको मिलता है । ...(**व्यवधान**)... वहां पर लुधियाना में सी.एम.सी. में नही मिलेगा । ...(**व्यवधान**)... आप आप बोल चुके, तो दूसरी बार सुनने में क्या तकलीफ हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : बोलने दीजिए, बोलने दीजिए ...(**व्यवधान**)... बोलिए , बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुरेन्द्र लाठ (**उडीसा**) : अमेंडमेंट में बोलने का अधिकार है ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : समय बरबाद हो रहा है । ...(**व्यवधान**)...

श्री जयन्ती लाल बरोट : **महोदय** ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : **आप बैठिए** ...(**व्यवधान**)... बरोट साहब, आप भी बैठिए।

श्री एस.एस. अहुलाविया : उपसभापति महोदय, मेरा कहना है कि अगर एक सिख ओ.बी.सी. खालसा कॉलेज में ओ.बी.सी. कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको हिन्दू कॉलेज में आना पडेगा। पहले यही हमारी मांग थी कि जब आप इसको,

6 P.M.

Other Backward Classes को of citizen ले रहे हैं, तो जब सबको ले रहे हैं, तो इनको कम-से-कम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्सिटी में भी एडमिशन मिल सके । वे सारे-के-सारे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, किन्तु अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकेंगे । अगर यह प्रावधान हो सके, जब आप सेक्युलर फैब्रिक की बात करते हैं कि लोग एक-दूसरे से मेल-भाव बनाए रखें । अगर यह अधिकार आप दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ओ.बी.सी. के रिजर्व कोटे में हिन्दू का भी एडमिशन हो सकेगा, तो इससे सौहार्द बढेगा, सौहार्द घटेगा नहीं ।...(**व्यवधान**)... पर आपने उस रास्ते को बन्द रखा है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरी गुजारिश है कि ये उसके लिए संशोधन लाएं और जरूरत पडे तो संविधान में संशोधन लाएं । बिल में यह बहुत बड़ी खामी है । दूसरी सोशली और ऐजुकेशनली बैकवर्ड की बात है, उसमें इकनॉमिकी वीकर सैक्शंज जो हैं जिनके बारे में आर्टिकल 46 कहता है, जो लोग इकनॉमिकली वीकर है । 16 मई, 1951 को जवाहर लाल नेहरू जी ने भाषण देते हुए यही बात कही थी कि उनके आर्थिक उत्थान, इकानॉमिक डेवलपमेंट की भी जरूरत है, अर्थात् उनके दिमाग में यह बात थी कि आर्थिक अवस्था में जो कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों को भी इसमें मिलना चाहिए। लेकिन, हमने जिस वक्त आरक्षण की बात कही तो हमने एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की बात ही कही है, इकनॉमिकली वीकर सैक्शन की बात नहीं कही है । मैं चाहता हूं कि ये दोनों बातें कही जाएं और मैं अपने दोनों अमेंडमेंट प्रैस करता हूं ।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: Sir, I press for division on these amendments.

प्रो. राम देव भंडारी : सर, जिनका अमेंडमेंट है, वे डिवीजन के लिए मांग नहीं कर रहे हैं, श्री जोशी कैसे मांग कर सकते हैं।

श्री एस. एस. अहलुवालियाः कोई भी मैम्बर डिवीजन के लिए मांग कर सकता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I put the amendment Nos. 2 and 3 of Mr. Ahluwalia to vote:

The question is:

That at page 2, *after* line 21, the following be *inserted* namely:—

"(iv) a minority educational institution maintained by or receiving aid from the Central Government whether directly or indirectly."

That at page 2, line 29, *for* the words, "socially and educationally backward" the words "socially, educationally and economically backward" be *substituted.*

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN. Noes: 91

Ayes: 23

Noes—91

Aggarwal, Shri Jai Parkash

Ahmed, Shri S.K. Khabir Uddin

Akhilesh Das, Dr.

Anbalagan, Shri S.

Antony, Shri A.K.

Ashwani Kumar, Shri

Aslam, Chowdhary Mohammad

Azad, Shri Gandhi

Azmi, Maulana Obaidullah Khan

Bachchan, Shrimati Jaya

Bhandary, Prof. Ram Deo

Bhardwaj, Shri Hans Raj

Bhatia, Shri Virendra

Bhattacharjee, Shri Karnendu

Cariappa, Shrimati Prema

Chatterjee, Shri Prasanta

Chaturvedi, Shri Satyavrat

Chavan, Shri Prithviraj

Condpan, Shri Silvius

Darda, Shri Vijay J.

Deshpande, Kumari Nirmala

Dhawan, Shri R.K.

Durga, Shrimati N.P.

Dwivedi, Shri Janardan

Gill, Dr. M.S.

Gnanadesikan, Shri B.S.

Hariprasad, Shri B.K.

Indira, Shrimati S.G.

Kanchhal, Shri Banwari Lal

Karat, Shrimati Brinda

Keishing Shri Rishang

Kidwai, Shrimati Mohsina
Kshatriya, Prof. Alka balram
Kumaran, Shri K.P.K.

Kurien, Prof, P.J.

Lepcha, Shri O.T.

Madhu, Shri Penumalli
Mahendra Mohan, Shri
Mandal, Shri Mangani Lal
Meghe, Shri Datta

Moinul Hassan, Shri
Mukherjee, Dr. Barun

Naik, Shri Shantaram Laxman
Nandi Yellaiah, Shri

Narayanan, Shri P.G.
Narayanasamy, Shri V.
Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana

Natwar Singh, Shri K.

Nayak, Dr. Radhakant

Pachouri, Shri Suresh

Pasha, Shri Syed Azeez

Patel, Shri Ahmed

Pathak, Shri Saman

Pillai, Shri Thennala G. Balakrishna

Poojary, Shri Janardhana

Rahman, Shri Motiur

Rajan, Shri P.R.

Rajasekharan, Shri M.V.

Ramadoss, Dr.Anbumani

Rao, Dr. Dasari Narayana

Rao, Shri K. Keshava

Rao, Shri V. Hanumantha

Rashtrapal, Shri Praveen

Rebello, Ms. Mabel

Rebia, Shri Nabam

Reddy, Shri G. Sanjeeva

Reddy, Shri Ravula Chandra Sekar

Reddy, Dr. T. Subbarami

Roy, Shri Abani

Roy, Shri Tarini Kanta

Sabharwal, Shri Dharam Pal

Sarkar, Shri Matilal

Seelam, Shri Jesudasu

Sen, Shri Tapan Kumar

Sharmah, Shri Dwijendra Nath

Shinde, Shri Sushilkumar Sambhajirao

Shunmugasundaram, Shri R.

Singh, Shri Amar

Singh, Shri Arjun

Singh, Shri Uday Pratap

Soni, Shrimati Ambika

Taimur, Shrimati Syeda Anwara

Tariq Anwar, Shri

Thakur, Shri Ekanath K.

Thakur, Dr. Prabha

Thakur, Shrimati Viplove

Tiwari, Shri Brij Bhushan

Vasan, Shri G.K.

Vijayaraghavan, Shri A.

Vora, Shri Motilal

Yadav, Shri Nand Kishore

Yadav, Shri Veer Pal Singh

Ayes—23

Acharya, Shri Suryakantbhai

Ahluwalia, Shri S.S.

Balmiki, Shri Krishan Lal

Barot, Shri Jayantilal

Bhardwaj, Shri Suresh

Bora, Shri Indramoni

Brahma, Shri Urkhao Gwra

Chandrasekhar, Shri Rajeev
Joshi, Shri Sharad Anantrao

Lath, Shri Surendra

Majhi, Shri Bhagirathi

Maroo, Shri Ajay

Mitra, Dr. Chandan

Patel, Shri Kanjibhai

Pilania, Dr. Gyan Prakash

Raut, Shri Sanjay Sahu,

Shri Ram Narayan Shanappa,
Shri K.B. Sharma,

Shri Laxminarayan Singh,
Shrimati Maya Swaraj,

Shrimati Sushma

Uikey, Miss Anusuiya

Vyas, Shri Shreegopal

The motion was negatived

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In clause 4, there is one amendment by Shri S.S. Ahluwalia. Are you pressing?

Clause 4:— Act not to apply in certain cases.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Yes Sir, I move:

That at page 3, line 12, be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.

Clause 4 was added to the Bill.

Clauses 5 to 7 and the Schedule were added to the Bill.

Clauses 1 and the Enacting Formula were added to the Bill.

Long Title

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the long title, there is one amendment No. 1. by Shri Mangani Lal Mandal.

श्री मंगनी लाल मंडल : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया है इसलिए मैं इसको वापिस लेता हूं।

The long title was added to the Bill.

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENTS BY MINISTERS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Statements by Ministers *...(Interrutions)..* Shri H.R. Bhardwaj.

States of Implementation of Recommendations Contained in the Fifteenth Report of Department—Related Parliamentary Standing. Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): Sir, I beg to lay a copy of the Statement on the status of implementation of recommendations contained in the Fifteenth Report of Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, law and Justice on Demands for Grants (2006-07) of the Ministry of Law and Justice. The present status of implementation of the recommendations made by the Committee is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House and I request that the same may be considered as read... *(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Kapil Sibal, not here, Kumari Selja.